HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए अतिरिक्त दहेज मांगने व मारपीट करने के मामले में आरोपी पति को 02 वर्ष का कारावास व 16,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 30.03.2026 को मा0 न्यायालय द्वारा अतिरिक्त दहेज मांगने व मारपीट करने के मामले में आरोपी पति को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 07.06.2011 को अभियुक्त प्यार मौहम्मद उर्फ प्यारे पुत्र इकबाल निवासी आर्यनगर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा अपनी पत्नी से अतिरिक्त दहेज मांगने व मारपीट करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना पिलखुवा पर मु0अ0सं0 202/2011 धारा 498ए, 323, 149, 307, 504, 506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 28.08.2011 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 30.03.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे एफटीसी प्रथम हापुड़ द्वारा 02 वर्ष का कारावास व 16,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमती करुणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री श्याम सिंह, पैरोकार है0का0 देवेन्द्र व कोर्ट मोहर्रिर म0है0का0 अंजली तोमर का विशेष योगदान रहा।